

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

क्रमांक C/276 // आदेश // जबलपुर, दिनांक 28/01/2020

श्री अरूण कुमार नायर, पर्सनल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर का निलंबन "रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी/3924/दो-14-48/2017, जबलपुर दिनांक 24.07.2017 द्वारा प्रतिसंहत (Revoke) किया गया है" के तारतम्य में मध्यप्रदेश मूलभूत नियम 54-बी(3) में निहित निर्देशों के अंतर्गत उनकी निलंबन अवधि को कर्तव्य अवधि मानते हुये, निलंबनकाल के पूर्ण वेतन एवं भत्ते देय होंगे।


(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल

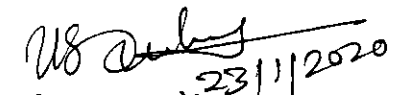
पृष्ठांकन क्रमांक C/277 /

जबलपुर, दिनांक 28/01/2020

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर, इंदौर (म.प्र.),
2. रजिस्ट्रार प्रशासन/आई.एल./न्यायिक 1 एवं 2, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश की प्रति उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु,
4. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. डिप्टी रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, स्था./लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. सहायक स्था./सेवापुस्तिका/वेतनपत्रक, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
9. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
10. श्री अरूण नायर, पर्सनल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(यू.एस. दुबे)
रजिस्ट्रार कम-पी.पी.एस.
For